संख्या-96/2022/54रासनि/23-1-22-68रासनि/20टीसी

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ:: 17 जून, 2022

**विषय:वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत 01 नये कार्य हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-787(54-VIII)/समग्र वृत्त/2022-23, दिनांक 31.05.2022 एवं पत्र संख्या-4665(54-VII)/समग्र वृत्त/2021-22, दिनांक 02.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में शासनादेश संख्या-315/2021/654रासनि/23-1-21-68रासनि/20टीसी, दिनांक 30.11.2021 द्वारा स्वीकृत विभिन्न जनपदों के 154 मार्गों मे से क्रम सं0-73 पर स्वीकृत कार्य में जनपद "गाजीपुर" के स्थान पर "जौनपुर" अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश के क्रमांक-73 पर अंकित कार्य ''जंगीपुर पारा सम्पर्क मार्ग से चेफवा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य'' हेतु प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, जौनपुर के स्थान पर प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, गाजीपुर संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-315/2021/654रासनि/23-1-21-68रासनि/20टीसी, दिनांक 30.11.2021 के साथ संलग्न कार्यसूची की तालिका के क्रमांक-73 पर अंकित मार्ग ''जंगीपुर पारा सम्पर्क मार्ग से चेफवा सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य'' हेतु तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित जनपद का नाम "जौनपुर" के स्थान पर "गाजीपुर" पढ़ा व समझा जाय।

3- विषयगत शासनादेश संख्या-315/2021/654रासनि/23-1-21-68रासनि/20टीसी, दिनांक 30.11.2021 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

गिरिजेश कुमार त्यागी
विशेष सचिव।

क्रमशः.....

---

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या-96/2022/54रासनि(1)/23-1-22, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी( आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**